

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com, (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 612 / 12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 19.08.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय :- झोपड़ी शिखर वास्ती मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 10587/2015)।

संदर्भ :- आपका ऑन-लाइन दिनांक 19.08.2015।

महोदय,

आप द्वारा विषयगत प्रस्ताव ऑन लाइन प्रेषित किया गया है जिसमें पार्ट-II का हार्ड कापी से मिलान करने पर वृक्षों के (Girth Class Wise) सूची में अन्तर है। आपके द्वारा पार्ट-II में सूचित वृक्षों की सं० 187 है जिसमें 15 बांज प्रजाति के वृक्ष सूचित है जबकि हार्ड कापी का अवलोकन करने पर 0-10 (Girth Class Wise) के वृक्षों को छोड़कर 39 वृक्ष बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जबकि प्रपत्र सं० 2.15.4 में कुल वृक्षों की संख्या 358 सूचित की गयी है। कृपया वृक्षों की (Girth Class Wise) सूची पार्ट-II में सही करे।

2. प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरक्षण संख्या 2 में प्रभावित होने वाले वृक्षों की व्यासवार (Girth Class Wise) सूची प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। इस सम्बन्ध में V.C में भी चर्चा के दौरान यह प्रकरण आया कि मोटर मार्ग के वैकल्पिक संरक्षण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची प्रस्ताव में अंकित की जाय। अतः वैकल्पिक संरक्षण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न की जाय। भविष्य में ऑन-लॉइन किये जाने वाले सभी प्रस्तावों में वैकल्पिक संरक्षण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की व्यासवार (Girth Class Wise) सूची भी संलग्न की जाय।

3. प्रस्तावित परियोजना में 4.935 है० आरक्षित वन प्रभावित होना सूचित किया है परन्तु आरक्षित वन क्षेत्र एवं कक्ष अंकित नहीं है।

कृपया उक्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करें।

भवदीय

(प्रेम कुमार)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रतिनिधि - आदिवासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग
कापकोट को इस आशय से प्रश्न की सिन्धु संख्या (2) व (3)
का निराकरण कर इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें
तार्किक सम्बन्धित प्रस्ताव पर अग्रेसर कार्यवाही की जा सके